[1]संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964

(सं0 आ0 68)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :--

1. यह आदेश संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 कहा जा सकेगा ।

2. वे जातियां, मूलवंश या जनजातियां या जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के ग्रुप जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संविधान के प्रयोजनों के लिए पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, वहां तक जहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है, जो उस संघ राज्यक्षेत्र में निवासी हैं, अनुसूचित जातियां समझे जाएंगे :

परंतु कोई भी व्यक्ति जो हिंदू [2][, सिक्ख या बौद्ध] धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ।

अनुसूची

1. आदि आंध्र
2. आदि द्रविड़
3. चक्किलियन
4. जांबुवुलु
5. कुरावन
6. माडिगा
7. माला, मालामस्ति
8. पाकी
9. पल्लन्
10. परयान, सांबवर
11. सम्बन
12. थोटी
13. वल्लुवन
14. वेडन्
15. वेट्टियन ।
16. [3][पुथीरई वन्नन ।]

---

[1] विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 419, तारीख 5 मार्च, 1964, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1964, भाग 2, खंड 3(i), पृ0 327 पर प्रकाशित ।

[2] 1990 के अधिनियम सं0 15 की धारा 7 द्वारा (3-6-1990 से) "या सिख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 2002 के अधिनियम सं0 61 की धारा 2 और अनुसूची 5 द्वारा अंतःस्थापित ।